POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 23.07.2022

1- थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा विदेश भिजवाने के नाम पर भोले-भाले लोगों के साथ ठगी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 सील मोहर, 02 सील रसीद बुक, 37 पासपोर्ट , 04 मोबाइल फोन व अन्य दस्तावेज बरामद।

दिनांक 23.07.2022 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा विदेश भिजवाने के नाम पर भोले-भाले लोगों के साथ ठगी करने वाले 04 अभियुक्त 1.दिनेश कुमार पुत्र रामबक्श निवासी मैकपुर, थाना पचदेवरा, जनपद हरदोई वर्तमान पता- गली नं0-07, 25 फुटा रोड, छजारसी, थाना सेक्टर-63, नोएडा, 2.संदीप गुप्ता पुत्र राकेश निवासी ग्राम वचौला, थाना कादरचौक, जिला बदायूं वर्तमान पता गली नं0-09, 25 फुटा रोड, छिजारसी, थाना सेक्टर-63, नोएडा, 3.सफी आलम पुत्र नबी आलम निवासी मौहल्ला मिल्कीयाना, फुलवारी सरीफ, थाना फुलवारी सरीफ, जिला पटना, बिहार वर्तमान पता गली नं0-3, 25 फुटा रोड, छिजारसी, थाना सेक्टर-63, नोएडा, 4.मो0 मजहर पुत्र मो0 बरकत उल्ला निवासी मौहल्ला मिल्कीयाना फुलवारी सरीफ, थाना फुलवारी सरीफ, जिला पटना, बिहार को थाना क्षेत्र के डी 39, सेक्टर-63 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 सील मोहर, 02 सील रसीद बुक, 01 पुलिन्दे मे 37 पासपोर्ट व 04 मोबाइल फोन व अन्य दस्तावेज बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरणः

1.दिनेश कुमार पुत्र रामबक्श निवासी मैकपुर, थाना पचदेवरा, जनपद हरदोई वर्तमान पता- गली नं0-07, 25 फुटा रोड, छजारसी, थाना सेक्टर-63, नोएडा।

2.संदीप गुप्ता पुत्र राकेश निवासी ग्राम वचौला, थाना कादरचौक, जिला बदायूं वर्तमान पता गली नं0-09, 25 फुटा रोड, छिजारसी, थाना सेक्टर-63, नोएडा।

3.सफी आलम पुत्र नबी आलम निवासी मौहल्ला मिल्कीयाना, फुलवारी सरीफ, थाना फुलवारी सरीफ, जिला पटना, बिहार वर्तमान पता गली नं0-3, 25 फुटा रोड, छिजारसी, थाना सेक्टर-63, नोएडा।

4.मो0 मजहर पुत्र मो0 बरकत उल्ला निवासी मौहल्ला मिल्कीयाना फुलवारी सरीफ, थाना फुलवारी सरीफ, जिला पटना, बिहार।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 273/2022 धारा 420/406 भादवि0 थाना सेक्टर-63, नोएडा।

बरामदगी का विवरणः

1.02 सील मोहर

2.02 सील रसीद बुक

3.एक पुलिन्दे मे 37 पासपोर्ट

4.04 मोबाइल फोन

5.अन्य दस्तावेज

2-थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा हॉस्टल के सामने गाड़ियों से स्टंट कर रहे तथा युवती से अभद्र व्यवहार करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, स्टंट करने में प्रयुक्त 02 वाहनों को सीज किया गया।

नॉलेज पार्क-3 स्थित पाखीज नेस्ट हॉस्टल के सामने सडक पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी गाडियों से स्टन्ट किये जाने तथा आवेदिका से अभद्र भाषा का प्रयोग व धमकी दिये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 23.07.2022 को थाना नॉलेज पार्क पर मु0अ0सं0 187/2022 धारा 147/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग की विवेचना में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 1-प्रशान्त कुमाल पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी फ्लैट नं0 201, टावर N-14, जेपी अमन सोसाइटी, थाना नॉलेज पार्क व 2-भव सागर पुत्र हरीश कुमार शर्मा निवासी मड़ा हबीबपुर, थाना पिसावा, जिला अलीगढ़ को नॉलेज पार्क 3 से गिरफ्तार किया गया है तथा स्टंट में प्रयुक्त दो वाहनों 1.टोयोटा फॉरच्यूनर संख्या UP16DE3738 व 2.स्कॉर्पियों संख्या UP16BE1516 को कब्जे में लेकर सीज किया गया है ।

अभियुक्तों का विवरण:

1-प्रशान्त कुमाल पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी फ्लैट नं0 201, टावर N-14, जेपी अमन सोसाइटी, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

2-भव सागर पुत्र हरीश कुमार शर्मा निवासी मड़ा हबीबपुर, थाना पिसावा, जिला अलीगढ़।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 187/2022 धारा 147/504/506 भादवि थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

बरादमगी का विवरण:

1.टोयोटा फॉरच्यूनर संख्या UP16DE3738(सीजशुदा)

2.स्कॉर्पियों संख्या UP16BE1516(सीजशुदा)

 # कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा माफिया अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है।

<u>गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण माफिया अमित कसाना पुत्र सत्यवीर को जेल में बितायी गई अवधि 06 वर्ष 19 दिन व 10,000 के अर्थदंड के दण्डित किया गया, अर्थदंड जमा ना करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।</u>

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा माफिया अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गौतमबुद्धनगर पुलिस और सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सोनिका की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप माफिया अपराधी अमित कसाना पुत्र सत्यवीर निवासी रिस्तल, थाना लोनी, गाजियाबाद वर्तमान पता रिठौरी थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर सदस्य गैंग नं0-आईएस-298 जो वर्तमान समय में मण्डोली जेल, दिल्ली में निरूद्ध है, को माननीय न्यायालय एसीजेएम-1 गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 12/07/2022 को मु0अ0सं0 574/2009 धारा 25/27 थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर में जेल में बिताई गयी अवधि 06 वर्ष 19 दिन व 10,000 के अर्थदंड के दण्डित किया गया, अर्थदंड जमा ना करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पूर्व में भी गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा इसके सहयोगियों/सदस्यों पर कार्रवाई करते हुए कुल 07 करोड़ 14 लाख 15 हजार रूपये की चल-अचल सम्पत्तियों को जब्त/कुर्क किया गया है। माफिया अपराधी के 03 सदस्यों/सहयोगियों(संजय भाटी, बबली एवं विरेन्द्र) के पास 03 लाईसेन्सी शस्त्रों को निरस्त कराया गया, सहयोगी राजू का 01 शस्त्र लाईसेन्स निलम्बित कराया गया है।

भविष्य मे भी माफिया अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

#पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा थाना बादलपुर व थाना इकोटेक-3 का आक्समिक निरीक्षण किया गया एवं महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय व परिसर को चेक करते हुए थाने पर मौजूद व्यक्तियों से पुलिस की कार्यशैली का फीडबैक लिया गया।

थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों, आईजीआरएस, महिला सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता देते हुए समय से निस्तारण करने तथा पॉक्सो एक्ट संबंधी मामलों में प्रभावी पैरवी करते हुये अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के प्रत्येक थाने में महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज दिनांक 23/07/2022 को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा थाना दिवस के मौके पर थाना बादलपुर व थाना इकोटेक-3 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर द्वारा महिला हेल्प डेस्क,साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष, डाक कार्यालय एवं आंगतुक कक्ष को चेक करते हुए ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से उनके कार्य की जानकारी ली गई और उनको अभिलेखों को पूर्ण रखने तथा शिकायती प्रार्थना पत्रों को रजिस्टर में अंकित करते हुए उनका समय से निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया। थाना परिसर, आवासीय परिसर में निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखने व परिसर में लावारिस हालत में खड़े वाहनों का अति शीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस अधिकारीगण को महिला सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता देते हुए सही व गुणवक्तापूर्ण जांच करने, थाना दिवस में प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र व सभी पेंडिंग आईजीआरएस के तुरंत निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। पॉक्सो एक्ट संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा दिलाये जाने, थाने के टॉप-10 अपराधियों, चिन्हित माफियाओं के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के संबंध में निर्देशित किया गया।

पुलिस कमिश्नर द्वारा थाना परिसर में मौजूद व्यक्तियों से पुलिस की कार्यशैली का फीडबैक लिया गया और संबंधित अधिकारियों व थाना प्रभारी को थाने पर आने वाले लोगों के साथ मृदु व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने व प्रतिदिन थाना क्षेत्र में पैदल गश्त करते हुए लोगों से संवाद करने, संभ्रांत लोगों के साथ मीटिंग करने हेतु निर्देशित गया जिससे नागरिकों में सुरक्षा का माहौल बना रहे।

निरीक्षण के दौरान डीसीपी सेंट्रल नोएडा, एसीपी-3 सेंट्रल नोएडा व अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।